अपील संख्या एस–02 / 1334 / ए / 2024

श्री. योगी एमपी सिंह बनाम ज0सू0अधि0 कार्यालय चिकित्सा एवं निदेशालय लखनऊ।

समक्ष– श्री सुधीर कुमार सिंह, मा0 राज्य सूचना आयुक्त उ0प्र0।

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गई। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी जन सूचना अधिकारी की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री संजय कुमार कनिष्ठ सहायक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं लखनऊ उपस्थित हुए। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकर है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र दिनांक 18.06.2024 के माध्यम से जन सूचना अधिकारी से सूचनाएं मांगी गयी थीं, तथा उनको समयान्तर्गत सूचना प्राप्त न होने पर दिनांक 06.08.2024 को प्रथम अपील की गयी। चूँकि प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्तर से उत्तर न मिलन पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30.09.2024 को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दर्ज की गयी। जिसके कम में आयोग द्वारा दिनांक 14.10.2024 को नोटिस जारी की गयी।

आज विपक्षी जन सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख है कि डॉ0 प्रदीप कुमार यादव, फिजीशियन, महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय, ज्ञानपुर भदोही, के विरूद्ध छोटे लाल बिन्द बरौत, जनपद प्रयागराज में प्राईवेट प्रैक्टिस किये जाने के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए अपर निदेशक मिर्जापुर मण्डल मिर्जापुर को जांच अधिकारी नामित किया गया है, जांच प्रचलित है। जांच आख्या प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सूचना अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से दिनांक 23.10.2024 को प्रेषित की जा चुकी है, जिसकी एक प्रति प्रस्तुत की गयी, जिसे पत्रावली पर रखा गया है। अपीलार्थी के सूचना सम्बन्धी मूल आवेदन पत्र के कम में विपक्षी जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना का अवलोकन किया गय और पाया गया कि विपक्षी जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचनाएं प्रथम दृष्टया पूर्ण एवं पर्याप्त है। ऐसे में प्रकरण को आयोग के समक्ष लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तदनुसार वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

23.10.2024

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
भदोही।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांकः मु0चि0अ0/डा0 प्रदीप कुमार, चि0अ0/कार्यवाही/2023/512 दिनांक 31.01.2024

विषयः <u>श्री जय चन्द मौर्या, निवासी ग्राम मनौवा पोस्ट खमरिया जनपद मिर्जापुर के द्वारा डा0 प्रदीप कुमार, फीजिशियन, महाराजा चेतसिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर जनपद भदोही की गयी शिकायत की जॉच के आधार पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या 60000230177675, 60000230177663, 6000030177667, 60000230177799, 6000030177498 श्री जयचन्द्र मौर्य, निवासी ग्राम मनौवा, पोस्ट खमरिया जनपद मिर्जापुर के द्वारा डा0 प्रदीप कुमार यादव, फिजिशियन महाराजा चेतसिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर की गयी शिकायत है कि छोटे लाल बिन्द हॉस्पिटल बरौत जनपद प्रयागराज में प्राईवेट प्रैक्टिस करते है जिसके निस्तारण हेतु दो जनपद स्तरीय जांच अधिकारी डा0 जे0सी0 सरोज, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद भदोही एवं डा0 ए0के0 मौर्य, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद भदोही को नामित किया गया, जांच के दौरान प्रार्थी द्वारा अपने उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों में डा0 पी0के0 यादव (फिजिशियन) का नाम पट्टिका लगा हुआ था, **<u>(छायाप्रति संलग्न)</u>** परन्तु जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 11.11.2024 को जांच करायी गयी तो डा0 पी0के0 यादव (फिजिशियन) के नाम पट्टिका नहीं पाया गया **<u>(छायाप्रति संलग्न)</u>**, हास्पिटल पर उपस्थित पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा बताया गया कि डा0 पी0के0 यादव को दिखाने के लिये जब मरीज आते है तो उनको फोनकॉल करके बुला लिया जाता है, उक्त कथन एवं जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि डा0 पी0के0 यादव (फिजिशियन), छोटे लाल बिन्द हॉस्पिटल बरौत जनपद प्रयागराज में प्राईवेट प्रैक्टिस करते है।

छोटे लाल बिन्द हॉस्पिटल बरौत जनपद प्रयागराज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज के अधीन आता है, जिसके कारण डा0 यादव एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महाराजा चेतसिंह, जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर जनपद भदोही द्वारा उपरोक्त जांच में कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है।

कृपया महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त जॉच रिपोर्ट का अवलोकन कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

<u>संलग्नकः संख्या–13</u>

भवदीय

90

(डा0 एस0के0 चक)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
भदोही।

पत्रांकः मु0चि0अ0/डा0 प्रदीप कुमार, चि0अ0/कार्यवाही/2023/512 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश।
2. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।
3. जिलाधिकारी भदोही।

(डा0 एस0के0 चक)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
भदोही।

90

मैं जयचन्द मौर्य पुत्र स्व० राजाराम मौर्य निवासी-
ग्राम सभा- मनैयां, पोस्ट- समालेपा, थाना- विरह,
तहसील- सदर, परगना- कंतित, जनपद- मीरजापुर,
उ०प्र०, मो० नं० 8090306360 श्री भोगी mp भिंड
को अधिकृत करता हूँ। मेरी ओर से मेरी पत्नी
के सम्बन्ध में सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों को
RTI आवेदन व प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के
लिए अधिकृत हैं। उनको प्रकरण में थर्ड
पार्टी न समझा जाए।

Date- 23/Sep/2014

जयचन्द मौर्य
पुत्र स्व० राजाराम मौर्य
mo. 8090306360

आई0जी0आर0एस0 / 60000240016948

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद भदोही।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
जनपद भदोही।

पत्रांक: मु0चि0अ0 / आई0जी0आर0एस0 / निस्ता0 / 2023–24 / 663

दिनांक: 09.02.2024

विषय: आई0जी0आर0एस0 पोर्टल के अन्तर्गत श्री जयचन्द मौर्य निवासी ग्राम मनौवा खमरिया, मीरजापुर, मो0नं0 8090306360 के द्वारा मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार के आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर की गयी शिकायत आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या 60000240016948 दिनांक 16.01.2024 के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आई0जी0आर0एस0 पोर्टल के अन्तर्गत श्री जयचन्द मौर्य निवासी ग्राम मनौवा खमरिया, मीरजापुर, मो0नं0 8090306360 के द्वारा मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार के आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर की गयी शिकायत आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या 60000240016948 दिनांक 16.01.2024 के कम में शिकायतकर्ता द्वारा कि गयी शिकायत डा0 पी0के0 यादव के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही हेतु शासन को अधोस्ताक्षरी के द्वारा पत्राचार किया जा चुका है। शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत शासन को जो पत्राचार किया गया है उसे उपलब्ध कराया जाय के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता कार्यालय से आकर पत्र प्राप्त कर सकते है।

अतः उक्त कम्प्यूटर आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या को निस्तारित करने का कष्ट करे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद भदोही।

आई0जी0आर0एस0 संख्या 8090306360

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज।

पत्रांक: मु0चि0अ0 / आई0जी0आर0एस0 / 2023–24 /   दिनांक:-5 07.2023

प्रबन्धक / संचालक,
छोटे लाल हॉस्पिटल,
जी0टी0 रोड बरौत, हण्डिया,
प्रयागराज।

विषय: आई0जी0आर0एस0 संख्या, 8090306360 के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्री जयचन्द्र मौर्य पुत्र स्व0 राजाराम मौर्य निवासी ग्राम मनउवा पोस्ट खुलुआ जनपद मिर्जापुर ने जिला अधिकारी महोदय के आई0जी0आर0एस0 संख्या 8090306360 के माध्यम से आपके चिकित्सालय के सम्बन्ध में शिकायत की है। उक्त शिकायती आई0जी0आर0एस0 संख्या, 8090306360 के पत्र की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि संलग्न शिकायती आई0जी0आर0एस0 पत्र में दर्शाये जा रहे तथ्यों के सम्बन्ध में सूचना शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें जिससे कि उक्त आई0जी0आर0एस0 का निस्तारण किया जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या: मु0चि0अ0 / आई0जी0आर0एस0 / 2023–24 / 2337 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: 1. जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज को आई0जी0आर0एस0 संख्या, 8090306360 के क्रम में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी / नोडल आई0जी0आर0एस0 कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. श्री जयचन्द्र मौर्य पुत्र स्व0 राजाराम मौर्य निवासी ग्राम मनउवा पोस्ट खुलुआ जनपद मिर्जापुर।

(मुख्य चिकित्सा अधिकारी
प्रयागराज।

(10) तहसील दिवस

तहसील दिवस

....

परीक्षण /कार्यवाही कर के मानक में आख्या दें।

अपर जिलाधिकारी भदोही

3009972200......

सेवा में

सम्पूर्ण समाधान दिवस

जिला अधिकारी महोदय भदोही ०७-१०-२०२३

सरकारी अस्पताल में ईलाज ना करके प्राईवेट अस्पताल में ईलाज करने के सम्बंध में

07 OCT 2023

आपको अवगत कराना चाहता हूँ की अपनी पत्नी को ईलाज के लिये ज्ञानपुर जिला अस्पताल लाया था जहाँ से हमें मरीज को छोटेलाल बिन्द होस्पिटल बरौत , में ईलाज अच्छे से होगा यह कहकर भेज दिया गया, मेरे मरिज को मलेरिया नहीं थी जिसकी मलेरिया निगेटिव रिपोर्ट भर्ती के समय डा को दिखायी भी गयी थी जिस पर उन्होने चिकनगुनिया होने की लक्षण बतायी थी , डा छोटेलाल अस्पताल में ईलाज के दौरान डा प्रदीप कुमार द्वारा मलेरिया ना होते हुये भी मेलिरिया कि इंजेक्शन व दवा दी गयी जिससे मरिज कि हालत बहुत खराब हो गयी , मेरी पत्नी मरने से बची , लापरवाही होने से दवा रिएक्शन हो गया जिससे मरीज का शरीर काला पड गया , हार्ट प्राब्लम , लिवर प्राब्लम , उल्टी बार बार होना , ज्यादा घबराहट व अन्य गम्भीर समस्या हो गयी , मजबूरी मैं मुझे दो बडे प्राईवेट अस्पताल में कर्ज लेकर ईलाज कराना पडा , सरकारी डा प्रदिप कुमार कीं लापरवाही के कारण मेरे लगभग डेढ लाख रुपये खर्च हो गये । महोदय इस मामले में मुझे डॉ० प्रदीप द्वारा धमकी भी दिलायी जा रही है व फोन करके रोकने की कोशिश की जा रही है।

अत: श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि सरकारी ईलाज ना करके मेरे मरीज को अपने मुनाफे के लिये प्राईवेट अस्पताल में ईलाज करने के मामले को गम्भीरता से लेते हुये दोषी डा प्रदीप कुमार फिजिशियन महराजा चेतसिंह , ज्ञानपुर , भदोही के खिलाफ कडी कार्यवाही करने कि मांग करता हूँ । पूर्व में दर्जनो शिकायत ओनलाईन कर चुका हू जिसमे सी एम ओ , भदोही महोदय मुझसे सभी साक्ष्य लेकर हर बार मेरी शिकायत को ही असत्य व निराधार कि रिपोर्ट आख्या लगा दी जाती है , कृपया मुझ गरीब , विकलांग के साथ न्याय करें आपका आजीवन आभारी रहुंगा ।

संलग्नक -उप्रोक्तानुसार

दोषी डा

प्रदीप कुमार यादव
(फिजिशियन, सलाहकार) M.C.S
महाराजा चेतसिंह, जिला अस्पताल
ज्ञानपुर, भदोही

पीड़ित

जयचन्द मौर्य
मोढ़ा, ..., ...
मो० 8.....306360